

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 01/भर्ती/2015-16

दिनांक : 15.05.2015

1. आयोग द्वारा अभियोजन विभाग के सहायक लोक अभियोजक-द्वितीय श्रेणी के 130 पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या 06/भर्ती/2013-14 दिनांक 05.08.2013 को विभाग के पत्र दिनांक 08.05.2015 के क्रम में प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

2. आयोग द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑन-लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

अभियोजन विभाग के लिए सहायक लोक अभियोजक – द्वितीय श्रेणी के पदों की राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई – स्थाई होने की संभावना। (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) (रिक्त पदों में 159 पद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एसएलपी संख्या 36131-36132/2013 के निर्णय के अध्यधीन रहेंगे)

| पदों की संख्या  | सामान्य पद |               |                |                  | अनुसूचित जाति वर्ग |               |                |                  | अनुसूचित जनजाति वर्ग |               |                |                  | पिछड़ा वर्ग        |               |                |                  | विशेष पिछड़ा वर्ग  |               |                |                  |   |
|---|------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|---|
|   | सामान्य    | सामान्य महिला | विधवा (प्र.श.) | परिवतारा(प्र.श.) | सामान्य            | सामान्य महिला | विधवा (प्र.श.) | परिवतारा(प्र.श.) | सामान्य              | सामान्य महिला | विधवा (प्र.श.) | परिवतारा(प्र.श.) | सामान्य            | सामान्य महिला | विधवा (प्र.श.) | परिवतारा(प्र.श.) | सामान्य            | सामान्य महिला | विधवा (प्र.श.) | परिवतारा(प्र.श.) |   |
| सामान्य 272 पद  | 84         | 33            | 10             | 3                | 33                 | 9             | 3              | 0                | 15                   | 7             | 2              | 0                | 46                 | 20            | 4              | 1                | 2                  | 0             | 0              | 0                | 0 |
| सहरिया 3 पद   | 3 (पुरुष)  |               |                |                  | 0 (महिला)          |               |                |                  | 0 (विधवा महिला)      |               |                |                  | 0 (परिवतारा महिला) |               |                |                  | 0 (परिवतारा महिला) |               |                |                  |   |
| दण्डबत आरक्षण :- विशेष योग्यजन (कुल 7 पद) – (OA, OL, BL)<br>सहरिया हेतु आरक्षित पदों में 1 पद बैकलोंग का है जो वर्ष 2011 का है। |            |               |                |                  |                    |               |                |                  |                      |               |                |                  |                    |               |                |                  |                    |               |                |                  |   |

## 1. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव -

1- Degree in law (Professional) from a University established by law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961.

2- Two years experience at the bar.

## 2. अनिवार्य योग्यता:- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan.

3. आयु :- दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

4. रनिंग पे-डैप्ड :- रुपये 9300-34800 ग्रेड-पे रु.4200/-

## आयु सीमा में छूट

| क्र.सं.  | अभ्यर्थियों का वर्ग   | अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष   | 5                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला   | 10                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | सामान्य वर्ग की महिला   | 5                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | विधवा एवं विचिन्न विवाह (परिवतारा) महिला  | अधिकतम आयु सीमा नहीं                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | सामान्य   | 10                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग  | 13                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति   | 15                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है—“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.” |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट   |   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपरिधिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | एन.सी.सी के कैटिंग प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | that for recruitment to the post of Assistant Public Prosecutor Grade-II there shall be no upper age-limit for persons retrenched from this post for want of vacancies or on account of abolition of this post if they were within the maximum age-limit prescribed under these rules, when they were initially appointed to the post from which they were first retrenched provided that normal prescribed channels of recruitment are duly observed and all requirements relating to qualifications, character, medical fitness etc. are fulfilled and they were not retrenched on account of complaint or delinquency and they produce a certificate of having rendered good services from the last Appointing Authority. This relaxation will be available upto two chances only; |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई (सबस्टेन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.   | रिलीज़ इमर्जेंसी कमीशन्ड औफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपरिधिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जायेगा।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.   | 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।  |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## नोट -

- (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  - (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
  - (3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-प्र/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार “जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।”
- इस पद को आयोग द्वारा वर्ष 2011 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तप्पशात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2016 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

| अन्य विवरण                      |  |
|---------------------------------|--|
| चयन प्रक्रिया                   | The examination scheme for recruitment shall consist of an objective type examination and interview.   |
| शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान | प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुसव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र।   |
| परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम       | इन पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबवाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।  |
| परीक्षा का स्थान एवं माह        | इन पदों की परीक्षा अजमेर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की सम्भावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है। |
| आवेदन अवधि                      | दिनांक 21-05-2015 से दिनांक 22-06-2015 तक आयोग द्वारा 12-00 बजे तक।  |

#### Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Assistant Public Prosecutor Grade-II

##### A. Written Examination :

- (i) The examination scheme for recruitment shall consist of an objective type examination and interview.
- (ii) The standard of the paper-II (Language paper) will be that of Senior Secondary level.
- (iii) Paper shall include the following subjects carrying the number of marks and time allowed, as shown against them :-

| Paper | Subjects                                   | Marks | Time    |
|-------|--|-------|---------|
| I     | Law  | 150   | 3 Hours |
| II    | Language-General Hindi and General English | 50    | 2 Hours |

##### B. Interview:

- (i) The interview shall carry 25 marks, the Commission shall call for interview up to three times of vacancy (category wise), the candidates who have obtained a minimum of 35% marks in each paper and 40% marks in aggregate in the written examination.
- (ii) It shall be compulsory for the candidate to obtain a minimum of 05 marks in interview to recommend him for appointment.

#### Syllabus for competitive examination

The competitive examination shall include the following papers and each paper shall carry the number of marks as shown against them. Detailed syllabus of each paper for the examination will be as prescribed by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

| Paper                  | Subjects   | Marks    |
|------------------------|--|----------|
| Paper-I<br>Law         | <b>Part-A</b><br>Indian Penal Code 1860  | 50       |
|                        | <b>Part-B</b><br>Criminal Procedure Code, 1973 and Indian Evidence Act, 1872   | 50       |
|                        | <b>Part-C</b><br>1- The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;<br>2- The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989;<br>3- The Arms Act, 1959;<br>4- The Rajasthan Excise Act, 1950;<br>5- The Essential Commodities Act, 1955;<br>6- The Pre-conception and Prenatal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994;<br>7- The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012;<br>8- The Dowry Prohibition Act, 1961;<br>9- The Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992;<br>10- The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986;<br>11- The Food Safety and Standards Act, 2006; and<br>12- The Rajasthan Bowine Animal (Prohibition Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995. | 50       |
| Paper – II<br>Language | Part – A General Hindi<br>Part – B General English   | 25<br>25 |

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/संवीक्षा परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

**विशेष सूचना** :— “आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध **Instruction for Applicants** में अध्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 ‘ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया’ एवं **Guidelines for Edit Application** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अध्यर्थी का ही होगा।”

**अन्य बिन्दु व सूचना** :— परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 01.01.14 को जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समर्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)  
सचिव